न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2, ब्यावर,

जिला अजमेर।

दीवानी वाद सं. 20/2022

रमेश माली बनाम श्रीमती छोटी व अन्य

दिनांक 27.05.2025

वकील पक्षकारान उपस्थित।

इस आदेश के द्वारा अधिवक्ता वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14(3) सपठित धारा 151 जा. दी. दिनांकित 05.02.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि उक्त सभी दस्तावेज (बेचाननामा दिनांक 11.09.2018, 24.06.2019, 13.03.1975, वसीयतनामा दिनांक 25.01.2016 एवं नगर परिषद कागजात) जो वादी द्वारा पूर्व में श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। चूंकि उक्त सभी दस्तावेज फोटोकॉपी होने के कारण साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं कराए जाने के कारण वादी द्वारा उक्त सभी दस्तावेज की मूल प्रस्तुत की जा रही है, जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत होगा। उक्त सभी दस्तावेज मौजूदा प्रकरण से पूर्णतया संबंधित एवं सुसंगत दस्तावेज है तथा मौजूदा प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संलग्न सूची में वर्णित सभी दस्तावेज (बेचाननामा दिनांक 11.09.2018, 24.06.2019, 13.03.1975, वसीयतनामा दिनांक 25.01.2016 एवं नगर परिषद कागजात) को रिकॉर्ड पर लिए जाने तथा वादी की साक्ष्य में उपरोक्त सभी दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित किए जाने की अनुमति प्रदान करने बाबत निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब पेश नहीं कर मौखिक रूप से विरोध प्रकट किया गया और प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का

अवलोकन किया गया व संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिए जाने बाबत निवेदन किया है, जिसका प्रतिवादी ने विरोध किया है।

उभय पक्षों को सुनने के बाद व वाद की तथ्यात्मक परिस्थिति को दृष्टिगत रखने के बाद वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सुसंगत दस्तावेज होना दृष्टिगत होता है, जो कि वाद से संबद्ध है। अतः वादी द्वारा आदेश 7 नियम 14(3) सपठित धारा 151 जा. दी. के तहत प्रस्तुत दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिए जाने में कोई हानि प्रतिवादी को होने की संभावना नहीं है, बल्कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पर प्रतिवादी को जिरह का अवसर मिलेगा और तथ्यों का स्पष्टीकरण होगा, परंतु वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अत्यंत विलंब से पेश किया गया है, जो कि निशिचित रूप से न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। लिहाजा वादी का प्रार्थना पत्र विलंब हेतु कोस्ट अधिरोपित कर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14(3) सपठित धारा 151 जा.दी. दिनांकित 05.02.2025 राशि 1,000/–रुपये की कोस्ट पर स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिए जाने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में दिनांक 23.07.2025 को पेश हो।